इंदिरा आवास योजना

इंदिरा आवास योजना वर्ष 1985–86 से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की उप योजना के रूप में प्रारम्भ की गयी थी । वर्ष 1989–90 में यह योजना जवाहर रोजगार योजना की उप योजना के रूप में कार्यान्वित की गयी।

2. दिनांक 01.04.1996 से इस योजना को एक स्वतंत्र योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। पूर्व में यह योजना केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के लिए थी। परन्तु 1994–95 से इस योजना में अन्य वर्गो, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, को भी सम्मिलित किया गया। योजनान्तर्गत कम से कम 60 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति के होनें आवश्यक ह।

3- इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आवासविहीन परिवारों को पक्का मकान बनाने हेतु अनुदान के रूप में धन उपलब्ध कराना है। लाभार्थियों का चयन जिला स्तर पर स्थायी प्रतीक्षा सूची में निर्धारित वरीयता कम के अनुसार किया जाता है। आवास का निर्माण लाभार्थियों द्वारा स्वयं किया जाता है। आवास हेतु अनुदान दो किश्तों में लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे हस्तान्तरित किया जाता है। आवास के लिए कोई नक्शा निर्धारित नहीं है किन्तु न्यूनतम 20 वर्ग मी0 का निर्माण आवश्यक है।

4. इंदिरा आवास महिला के नाम अथवा पति/पत्नी के संयुक्त नाम से आवंटित किया जायेगा।

5. वर्तमान में यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 75 : 25 अनुपात में वित्तपोषित है। आवास की लागत 01.04.2013 से मैदानी क्षेत्रों में रू0 70,000/– तथा नक्सल प्रभावित जनपद (चन्दौली, मिर्जापुर एवं सोनभद्र) में रू0 75000/– निर्धारित है।

6. वर्ष 2014–15 से मनरेगा से 90 दिन की सीमा तक कन्वर्जेन्स की व्यवस्था की गयी है।

7. योजना से सम्बंधित समस्त सूचनाएं यथा लाभार्थी का नाम एवं अन्य विवरण, ग्राम पंचायत का नाम लाभार्थी एवं आवास का फोटोग्राफ, बैंक खाता संख्या इत्यादि समस्त सूचनाएं भारत सरकार की वेबसाइट www.iay.nic.in (Awaassoft). पर उपलब्ध है। सामान्य जन मानस इस वेबसाइट पर समस्त सूचनाएं अवलोकित कर सकता है ।